

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:- एफएसएसए/एफ-9 (ii)/2014/ 759

दिनांक:- 15/9/2014

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जयपुर, अलवर, अजमेर, कोटा, जोधपुर, एवं उदयपुर।
मुख्य खाद्य विश्लेषक,
केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला
जयपुर।

विषय:- खाद्य विश्लेषक के अभाव में 7 बन्द पड़ी राजकीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं को स्टॉफ के कार्यरत प्रयोगशालाओं में समायोजित किये जाने बाबत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 852-55 दिनांक 06.12.2013।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि खाद्य विश्लेषक के अभाव में 7 बन्द पड़ी राजकीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं को स्टॉफ के कार्यरत प्रयोगशालाओं में समायोजित किये जाने के सम्बंध में निम्न बिन्दुओं की सूचना उपलब्ध करावें।

1. वर्तमान में क्रियाशील 6 प्रयोगशालायें जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, अलवर एवं उदयपुर में स्वीकृत पदों का विवरण (पदनाम सहित)।
2. बिन्दु संख्या 1 में और किस पद की आवश्यकता है।
3. 7 बन्द पड़ी प्रयोगशालाओं का निर्माण कब-कब हुआ और वे कब से संचालित है।
4. बिन्दु संख्या 3 में स्वीकृत पदों का विवरण (पदनाम सहित)।
5. 7 बन्द पड़ी प्रयोगशालाओं के भवन वर्तमान में किस उपयोग में लिया जा रहा है अथवा उनकी वर्तमान स्थिति क्या है। उपयोग योग्य है अथवा नहीं।
6. बन्द पड़ी प्रयोगशालाओं के कर्मचारियों को किन-किन प्रयोगशालाओं में समायोजित किया जाना है। Justification के साथ प्रस्ताव अनुमोदनार्थ पश्चात् प्रस्तुत करावें।
7. बन्द पड़ी प्रयोगशालाओं के कर्मचारियों का वेतन आहरण किस बजट हैड से आहरित किया जा रहा है।

आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:- एफएसएसए/एफ-9 (ii)/2014/

दिनांक:-

प्रतिलिपि:- प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है, कि उक्त पत्र विभाग कि वेबसाईड पर अपलोड करें।

आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।